एस0सी0 एस0टी0–178/17

एस0सी0/एस0टी0 थाना कांड सं0–37/17

दिनांकः 03.12.2019

प्रार्थी अनिल कुमार न्यायालय में वकालतनामा के साथ आत्मसमर्पण कर जमानत आवेदन दाखिल किए जिसे प्रचालित करते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी निर्दोष हैं, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, उन्हें इस केश में झूठा फंसाया गया है, सूचक द्वारा जिस तरह से घटना का वर्णन किया गया है वैसी कोई घ ाटना नहीं घटी है, प्रार्थी के विरूद्ध कोई विशिष्ट आरेाप नहीं है, अनुसंधान के क्रम में प्रार्थी को धारा 41(1) द0प्र0स0 का लाभ दिया गया है, प्रार्थी का संज्ञानोपरांत प्रथम उपस्थिति है, प्रार्थी बहुत लंबे समय से बीमार है और हमेसा ईलाजरत रहते है, प्रार्थी न्यायालय का हरशर्त मानने के लिए तैयार हैं, अतः जमानत पर मुक्त करने का निवेदन करते हैं।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने जमानत का विरोध किया।

उभय पक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद सूचक संतोष राम द्वारा प्रार्थी सहीत कुल 04 अभियुक्तों के विरूद्ध दायर परिवाद वाद सं0–723सी/17 पर आधारित है जिसके आधार पर नालशी वाद में नामांकित चारो अभियुक्तों के विरूद्ध धारा 341, 323, 379, 120बी, 420, 467, 504, 506, 34 भा0द0वि0 एवं धारा 3;पद्ध ;तद्धए 3;पपद्ध;अंद्ध अनु0जाति/अनु0 जनजाति अधिनियम 1989 के अन्तर्गत एस0सी0/एस0टी0 थाना काण्ड सं0 37/17 दर्ज किया गया। जिसमें सूचक का कहना है कि वे तुलापट्टी पैक्स के प्रबंधक एवं प्रबंध समिति के सदस्य हैं, जिसके अध्यक्ष सुमित्रा देवी है, उक्त पैक्स का बचत खाता पंजाब नेश्नल बैंक पिपराखुर्द सुपौल में है, उक्त तुलापट्टी पैक्स का उपरोक्त वर्णित खाता का दो चेक पैक्स कार्यालय तुलापट्टी से चोरी हो गया जिसकी जानकारी संबंधित बैंक को दी गई, और चेक के भुगतान पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया इस संबंध में थानाध्यक्ष पिपरा को भी इस संबंध में 26.05.17 को सनहा आवेदन दिया गया, अभियुक्त अनिल कुमार द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से पैक्स अध्यक्ष को वकालतन नोटिश दिनांक 15.07.17 प्रेषित किया गया, जो दिनांक 17.07.17 को प्राप्त होने पर जानकारी मिला कि उपरोक्त वर्णित चोरी किया गया चेक सं0–734794 में 4,90,000/–रू0 की राशि भरकर अनिल कुमार द्वारा भारतीय स्टेट बैंक, मरवाचक बखरी खाता में जमा किया गया परंतु उसका भुगतान नहीं हो सका, अभियुक्त अनिल कुमार द्वारा भेजे गए वकालतन नोटिश से स्पष्ट हो गया कि दोनों चेक उन्होंने ही चोरी किया है, तथा पैक्स की प्रबंध समिति की ओर से परिवादी को मुकदमा करने के लिए अधिकृत किया गया, दिनांक 23.07.17 को 10 बजे दिन में परिवादी मुकदमा करने पिपरा थाना जा रहे थे तो सभी अभियुक्तगण उसे घेर लिए और अभियुक्त किशोरी प्रसाद जाति सूचक शब्द का प्रयोग करके गाली गलौज करने लगे और मारपीट करने लगे, अभियुक्त नीलम कुमार सिंह और सोना कुमार सिंह परिवादी के जेब से तीन हजार रूपैया और उसके हाथ से टाईटन घरी छीन लिए तथा सभी अभियुक्तगण धमकी देते हुए चले गए।

अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत वाद नालसी वाद पर आधारित है तथा नालशी वाद में घटना तिथि 23.07.17 बताया गया है, जबकि नालशी वाद न्यायालय में 16.08.17 को काफी बिलंब से दायर किया गया है, परिवादी द्वारा नालशी वाद दायर करने का तिथि नहीं दिया गया है। इस वाद के सह अभियुक्त किशोरी प्रसाद, नीलम कुमार सिह, सोना कुमार सिंह को पूर्व में नियमित जमानत दिया जा चुका है। प्रार्थी का संज्ञोनोपरांत प्रथम उपस्थिति है तथा स्वतः ही न्यायालय में आत्मसमर्पण किये है। फलस्वरूप उपरोक्त सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों के मद्देनजर प्रार्थी को जमानत पर मुक्त करना न्यायोचित समझता हूँ। तदनुसार प्रार्थी की ओर से दाखिल जमानत आवेदन न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। अतः प्रार्थी अभियुक्त की ओर से मो0 10,000/– रू0 के व्यक्तिगत एवं समान राशि के दो–दो प्रतिभूओं के साथ बंधपत्र दाखिल करने पर इस निर्देश के साथ मुक्त करने का आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी अभियुक्त का जमानतदार रिस्तेदार या ग्रामीण/पड़ोसी होंगें तथा न्यायालय में प्रत्यैक तिथि को उचित पैरवी करेंगे तथा लगातार दो तिथि अनुपस्थित रहने पर विद्वान न्यायालय बंध पत्र रद्द करने के लिए स्वतंत्र रहेगें तथा वाद के अनुसंधान एवं त्वरित निस्तारण में सहयोग करेंगें तथा किसी भी साक्षियों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करेंगें।

प्रभारी अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
सुपौल